भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

30.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1757 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाएं

1757. श्री पुट्टा महेश कुमार:
श्री कीर्ति आज़ाद:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री सनातन पांडेय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश सहित देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री ट्रेनों में चिकित्सा आपातकालीन केंद्रों की स्थापना के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जिला-वार उन रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है जिनके रेलवे स्टेशन परिसर में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं (आपातकालीन कक्ष/क्लिनिक/औषधालय और/या ऐसी अन्य सुविधाएं) उपलब्ध हैं,

(ग) वर्तमान में देशभर में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों/डॉक्टरों/नर्सों/प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों और एम्बुलेंसों की राज्य-वार/जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रोगी यात्रियों के उपचार के लिए किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं/बुनियादी ढांचा, राज्य और जिला-वार उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाने पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेलवे स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराने की आवश्यकता और इन सुविधाओं के निर्धारण के संबंध में जाँच की गई थी। इन आदेशों के अनुपालन में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में

विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई। विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा के अनुसार, सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि से युक्त एक मेडिकल बॉक्स मुहैया कराने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, जैसे रेल टिकट परीक्षक, ट्रेन गार्ड/अधीक्षक, स्टेशन मास्टर आदि को प्राथमिक उपचार प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी रेलवे स्टेशनों पर निकटवर्ती अस्पतालों और डॉक्टरों की सूची उनके संपर्क नंबर सहित उपलब्ध कराई गई है।

रेलवे, राज्य सरकार/निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं की एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग घायल/बीमार यात्रियों को अस्पतालों/डॉक्टरों के चिकित्सालयों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है।

****